13/11/25

वकील पक्षकारान उप० । वाद मे पूर्व मे उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की जा चुकी है। वादी का वाद का वाद रेस ज्यूडिकेटा के तहत खारिज योग्य पाया जाने से वाद को खारीज किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नत्थी होकर दफ्तर में दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा